सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद पत्र संख्या 239/2017

रामनिवास पुत्र लखमा जाति रेगर निवासी निमेडा तहसील सावर जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. पेमाराम पुत्र सुखा
2. देव पत्नी पेमाराम

समस्त जातिगण मीणा निवासीगण निमेडा तहसील सावर जिला अजमेर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 03.05.2018

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट गिरवरपुरा तहसील सावर में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित। पक्षकारान को सुना गया। विवरण निम्न प्रकार हैं–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम निमेडा तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 207–75 के खाता नम्बर 123 में दर्ज कुल आराजी खसरा नं. 1651/128 कुल रकबा 0.13 हेक्ट. जो कि वादी के नाम दर्ज खातेदारी होकर रहन बैंक ऑफ बडौदा सावर के रहन दर्ज हैं। प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता या सरोकार आदि नहीं है तथा वादी के कब्जेकाश्त, स्वामित्व व आधिपत्य में निरन्तर व निर्बाध रूप से चली आ रही हैं। उक्त खसरा नम्बर पर बैंक ऑफ बडौदा सावर के रहन दर्ज हैं। प्रतिवादीगण 1–2 की नियतबद्ध होने से व वादी के अकेलेपन का फायदा उठाकर डरा–धमकाकर वादी की आराजी पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण आये दिन लडाई–झगडें आदि करते है, जिसके कारण वादी ने यह दावा पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

हमनें पत्रावली को दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी 1–2 की ओर से श्री सीताराम कुमावत एडवोकेट ने पावर पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 05.09.2017 को वादी की ओर से श्री निर्मल चौधरी एडवोकेट ने पावर पेश किया। प्रतिवादी को दिनांक 06.06.2017 से आज दिनांक तक जवाब पेश करने हेतु मौका दिया गया किन्तु प्रतिवादी ने 90 दिन की अवधि पूर्ण होने पर भी जवाब आदि पेश नहीं किया है, न ही कोई दस्तावेज आदि पेश किये हैं। आज पत्रावली कैम्प कोर्ट गिरवरपुरा में पेश हुई, जहां वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित हैं। प्रतिवादीगण ने कैम्प कोर्ट में हाजिर होते हुए पत्रावली में उपस्थिति के हस्ताक्षर करने से इन्कार किया हैं। लिहाजा उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार हैं–

वादी ने बहस के दौरान वादग्रस्त तथ्यों का बखान करते हुए निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम निमेडा तहसील सावर की जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता नम्बर 123 में दर्ज खसरा नम्बर 1651/128 कुल रकबा 0.13 हेक्ट. जो कि वादी के नाम दर्ज खातेदारी होकर रहन बैंक ऑफ बडौदा सावर के रहन दर्ज हैं। प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता या सरोकार आदि नहीं है तथा वादी के कब्जेकाश्त, स्वामित्व व आधिपत्य में निरन्तर व निर्बाध रूप से चली आ रही हैं। उक्त खसरा नम्बर पर बैंक ऑफ बडौदा सावर के रहन दर्ज हैं। प्रतिवादीगण 1–2 की नियतबद्ध होने से व वादी के अकेलेपन का फायदा उठाकर

धमकाकर वादी की आराजी पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण आये दिन लडाई–झगडें आदि करते है। वादग्रस्त आराजी वादी के कब्जे में निरन्तर निर्बाध रूप से चली आ रही हैं। अतः प्रतिवादीगण को सजरे के लिए पाबन्द किये जाने हेतु वादी का दावा स्वीकार योग्य बनता हैं। वादी ने उक्त वाद पत्र को अपने हक में सिद्ध करने के लिए निम्न दस्तावेज पेश किये हैं–

1. जमाबन्दी ग्राम जसवन्तपुरा संवत् 2072–75 खाता नम्बर 123
2. गिरदावरी संवत् 2072–73

प्रतिवादीगण कैम्प कोर्ट में हाजिर है, जिन्होनें उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं किये। पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जिसमें पैरा संख्या 5 में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के वादी की खातेदारी भूमि होने से प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित बताया हैं। वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी 1 व 2 का कोई वास्ता व सरोकार आदि नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी ग्राम निमेडा तहसील सावर संवत् 2072–75 के खाता नं. 123 में वादी की खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी के अनुसार वादग्रस्त आराजी में कब्जाकाश्त भी वादी का होना पाया जाने से वादी का प्रेमाफैसाई केस बनता हैं।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम निमेडा तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता नम्बर 123 में दर्ज खसरा नम्बर 1651/128 रकबा 0.13 हेक्ट. का स्वीकार किया जाकर वादी का दावा डिक्री किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही वादी को उसकी आराजी से बेदखल करें और न ही वादी की फसल को खुर्द बुर्द करें। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर मजमे आम में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी